न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद,पत्र सं :: 112/2024
जीसीएमएस सं0 :: 2024/331

1. अभय सिंह पुत्र धर्मपाल व्यस्क
2. नवीन कुमार पुत्र दलीप कुमार व्यस्क
3. नरेश कुमार पुत्र होशियार सिंह व्यस्क
4. मनोज कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह व्यस्क

समस्त जाति मेघवाल निवासीगण डुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राजस्थान जरिये मुख्तयारआम दीपक कुमार पुत्र गिरिराज उम्र 33 साल जाति ब्राहम्ण नि0 भाकडी पोस्ट दोचाना तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा

– वादीगण,

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वरलाल व्यस्क
2. नीलम पुत्री रामेश्वर लाल व्यस्क
3. प्रेम पुत्री रामेश्वरलाल व्यस्क
4. फुलकी देवी पत्नि रामेश्वरलाल व्यस्क
5. भंवरी देवी पुत्री रामेश्वरलाल व्यस्क
6. मंगलचंद पुत्र रामेश्वरलाल व्यस्क
7. ममता पुत्री रामेश्वरलाल व्यस्क
8. रामेश पुत्र रामेश्वरलाल व्यस्क
9. ललिता पुत्री रामेश्वरलाल व्यस्क
10. विधा पुत्री रामेश्वरलाल व्यस्क
11. पवन पुत्र रामेश्वरलाल व्यस्क

    समस्त जाति रेगर नि0 ग्राम डुकिया तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0

12. पटवारी प0ह0 डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13. उप पंजीयक, पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. श्री सुखराम लोरा , वकील वादीगण की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय   दिनांक :: 17.12.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख0नं0 1331/2470, 2289/2552, 2297, 2298, 2299 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5300 है0 वाके ग्राम डुकिया तहसील दांतारामगढ़

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

जिला सीकर की तन में स्थित है। जो वादीगण व प्रति0सं0 1 ता 11 की अविभाजित संयुक्त कब्जेशुद्धा व खातेदारी शुदा कृषि भूमियां है। जिसका वादीगण व प्रति0सं0 1 ता 11 के बीच आज दिन तक विधिवत बाई मिट्स व बाउन्डस विभाजन नहीं हुआ है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्जानुसार खातेदारी शुदा कब्जे काश्त 3/14, 3/14 हक हिस्सा है, जिसमें अपने-अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है तथा शेष हक हिस्सा 1/77-1/7 प्रति0सं0 1 ता 11 का खातेदारी शुदा कब्जे काश्त का है, जो मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 अपने- अपने हक हिस्से पर काबिज काश्तकार रहकर उपयोग करते आ रहे है। मौके पर उक्त भूमियों का बिना विधिवत बाई मिट्स एंड बाउण्डस किये ही आपसी सहमति व स्वीकृति से मौके पर वर्षो पूर्व से ही किये गये बाहमी बंटवारा अनुसार उक्त आराजी को बांटकर अपनी-अपनी सींव-नींव कायम कर काश्त करते आ रहे है। वाद वर्णित भूमियों मे से वादीगण के हक हिस्से की भूमि में वादीगण ने खाद आदि डालकर समतल कर पेड पौधे लगाकर उपजाउ बना रखी है। लेकिन पक्षकारान ने आज दिन तक विधिवत बंटवारा कर अपने खातेदारी हक हिस्से को विधिवत नपती कर, पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कर अलग-अलग सींव नींव कायम नहीं की है व न ही अलग एकाकी खाता खसरा निर्धारित किया गया है इसलिए खातेदारी संयुक्त रूप से चली आ रही है। वाद वर्णित भूमि के संयुक्त खाते की होने व प्रतिवादीगण जो आपस में सगे भाई बहन है, जिन्होंने एक होकर साज कर रखी है। जिस वजह से पक्षकारान के बीच रोज वाद विवाद व लडाई झगडा की संभावना रहती है इसलिए पक्षकारान का विवादित भूमि को बिना विधिवत बाई मिट्स एंड बाउण्डस बंटवारा किये बिना शामलाती खातेदारी में काश्त किया जाना एक असंभव व दुष्कर कार्य हो गया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि का विधिवत बाई मिट्स एंड बाउण्डस पक्षकारान के मध्य विभाजन करवाया जाकर उक्त शामलाती कब्जे काश्त की भूमियों का बाहमी बंटवारे में आये हक हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर वादीगण का अलग एकाकी खाता कब्जा व लगान निर्धारित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जाकर वादीगण को उक्त हिस्से की भूमि का पृथक से काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना प्रार्थनीय है इसलिए यह वाद पत्र नियोजित किया जाना आवश्यक हुआ है। वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 9 की उप मद ए, बी, सी, डी, अनुसार वाद डिकी करने हेतु निवेदन किया गया है।

वाद-पत्र पेश होंने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 14 बावजूद रजिस्ट्रर्ड तामील के हाजिर नहीं आये। अतः प्रति0सं0 1 से 11 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। प्रति0सं0 6 मंगलचंद स्वंय दिनांक 15.10.25 को हाजिर आये। लेकिन उसके बाद उपस्थित नहीं आये। वकील वादीगण द्वारा बहस के दौरान प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर वाद में दिनांक 17.11.25 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर उनके द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/25/7726 दिनांक 03.12.25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया जो शामिल पत्रावली किये गये।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नगत भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 11 बावजूद तलबी के उपस्थित नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर वकील वादीगण के निवेदन पर बहस सुनी जाकर दिनांक 17. 11.25 को पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/25/7726 दिनांक 03.12..25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा मुताबिक तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री ज़ारी करने हेतु निवेदन किया गया इसलिए प्रकरण में तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 1331/2470 रकबा 0.4100 है0, ख0नं0 2289/2552 रकबा 0.5400 है0, ख0नं0 2297 रकबा 0.1400 है0, ख0नं0 2298 रकबा 0.2100 है0, ख0नं0 2299 रकबा 1.2300 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5300 है0 वाके ग्राम डुकिया प0ह0 डुकिया तहसील दांतारामगढ़,जिला सीकर में निम्न प्रकार वादीगण एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	अशोक पुत्र रामेश्वर लाल हि0 1/11 नीलम पुत्री रामेश्वर लाल हि0 1/11 प्रेम पुत्री रामेश्वर लाल हि0 1/11 पवन पुत्र रामेश्वर लाल हि0 1/11, फूलकी देवी पत्नि रामेश्वर लाल हि0 1/11 भंवरी पुत्री रामेश्वर लाल हि0 1/11, मंगलचंद पुत्र रामेश्वरलाल हि0 1/11, ममता पुत्री रामेश्वर लाल हि0 1/11, राजेश पुत्र रामेश्वर लाल हि0 1/11,ललिता पुत्री रामेश्वर लाल हि0 1/11 विधा पुत्री रामेश्वर लाल हि0 1/11 जाति रेगर सा0 देह खातेदार	2297 1331/2471/1	0.1400 0.2215	बा0 4 बा0 4	0.28 0.44
		किता 2	0.3615	बा0 4	0.72
2.	अभय सिह पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल नि0 वा0नं0 3 डुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू खातेदार	1331/2471/2 2298 2299/1	0.1885 0.2100 0.1440	बा0 4 बा0 4 बा0 4	0.38 0.42 0.29
		किता 3	0.5425	बा0 4	1.09
3.	नरेश कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति चमार (मेघवाल) सा0 वा0नं0 2 डुमोली खुर्द तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू खातेदार	2299/2	0.5430	बा0 4	1.09
		किता 1	0.5430	बा0 4	1.09

सहायक कलक्टर(मु.) सीकर

4.	नवीन कुमार पुत्र दलिप कुमार जाति मेघवाल सा0 डुमोली खुर्द तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू खातेदार	2299/3	0.5430	बा0 4	1.09
		किता 1	0.5430	बा0 4	1.09
5.	मनोज कुमार पुत्र धर्मपाल जाति चमार मेघवाल। सा0 वा0नं0 3 डुमोली खुर्द तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू खातेदार	2289/2552	0.5400	बा0 4	1.08
		किता 1	0.5400	बा0 4	1.08

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/25/7726 दिनांक 03.12.2025 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर